सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत कलवानी

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/84** दायरा दिनांक **10.04.2017**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. श्रवणराम पुत्र तेजाराम 2. बरजीदेवी पत्नि श्रवणराम 3. ओमप्रकाश थोरी पुत्र सुरजाराम 4. भंवरलालजानू पुत्र हनुमानाराम समस्त जाति जाट निवासी कलवानी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. कृष्णदेव पुत्र नेमाराम 2. श्रवणराम पुत्र लूणाराम 3. दानाराम पुत्र लूणाराम समस्त जाति जाट निवासी कलवानी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 4. ग्राम पचायत कलवानी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 5. मेनेजर पंजाब नेशनल बैक शाखा डीडवाना 6. मेनेजर नागौर सहकारी भूमि विकाश बैक शाखा डीडवाना 7. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

दावा घोषणा खातेदारी बन्टवाडा खेत

हस्ब धारा 53, 88, राज. काश्त. अधि.

उपस्थित–

1. वादीगण उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण सं0 01, 02, उपस्थित।

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनांक **03.06.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं मौजा गिरधारीपुरा पटवार क्षैत्र कलवानी की शहरद मे खेत ख.न. 01 रकबा 109 ब़ीघा 10 बिस्वा, स्थित है।जो वादीगण व प्रतिवादीगण सं 01 ता 04 की सामलाती खातेदारी व जरिये बैचाण से खरीदी हुई व वसियतनामा की व दानपत्र की व कब्जा काश्त की जमीन है। नकल खतौनी सम्वत 2069–2072 पेश है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

उपरोक्त खेत के खातेदार भैराराम पुत्र उमाराम फौत हो चुका हैं। भैराराम ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त खेत की 30 बीघा की खातेदारी की जमीन दिनाकं 15.02.2013 को वादी संख्या 03 ओमप्रकाश थोरी पुत्र सुरजाराम के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड वसियतनामा (इच्छा पत्र) नाम कर दी थी। रजिस्टर्ड वसियतनामा (इच्छा पत्र) नकल पेश है।

वादी संख्या एक व दो ने उपरोक्त खेत में से 12 बीघा 05 बिस्वा व 12 बीघा 05 बिस्वा कुल 24 बीघा 10 बिस्वा जमीन जरिये रजिस्टर्ड बैचाण के खरीद की थी। और वादी संख्या एक व दो बैचाण कर्ता के कब्जे काश्त के अनुसार ही मौके पर काबिज हो गये व मौके पर कब्जा काश्त है। तथा अपने काश्त की जमीन पर एक पक्का मकान कृर्षि औजार व पुस लूग आदि रखने हेतु बना रखा है। तथा वादी संख्या 03 के पक्ष में उपरोक्त खेत के काश्कार भैराराम पुत्र उमाराम द्वारा अपना हिस्सा अर्थात 30 बीघा जमीन अपने जीवनकाल में वसियत कर दी थी।इसलिए भैराराम की मृत्यु के बाद उनके बन्ट की 30 बीघा जमीन में वादी संख्या 03 काबिज हो गया। तथा वादी संख्या 04 भी अपनी रजिस्टर्ड बैचाण से खरीद की हुई 30 बीघा जमीन पर काबिज हो गये व मौके पर कब्जा काश्त है। तथा वादी संख्या 04 ने अपनी 30 बीघा जमीन में से 01 बिस्वा जमीन ग्राम पंचायत को दान करदी जिसमे ग्राम पंचायत 01 बिस्वा जमीन पर काबिज है और सार्वजनिक पानी का हौद बना रखा है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 भी अपनी रजिस्टर्ड खरीद की हुई 10 बीघा जमीन पर काबिज हो गये व मौके पर कब्जा काश्त है। तथा प्रतिवादी संख्या 02ता 03 भी अपनी रजिस्टर्ड खरीद की हुई 15 बीघा जमीन पर काबिज हो गये व मौके पर कब्जा काश्त है।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 अपनी खरीद व दानपत्र व वसियतनामा के अनुसार काबिज है और मौके पर कब्जा काश्त है।बैचाण के अनुसार वादीगण संख्या 01 ता 02 उक्त खसरे की 24 बीघा 09 बिस्वा जमीन पर काबिज है।इसी अनुसार वादी संख्या 03 भैराराम पुत्र उमाराम द्वारा वसियत के आधार पर 30 बीघा जमीन पर काबिज है।तथा वादी संख्या 04 भी अपनी खरीद के आधार पर 29 बीघा 19 बिस्वा जमीन पर काबिज है। जिसको वादीगण ने अपने नजरी नक्शे मे दर्शाया गया है।उक्त नजरी नक्शा इस वाद का अहम भाग है। उक्त बैचाण व वसियत बन्टवारा के अनुसार ही वादीगण का अपने बैचाण व वसियत दिनाकं के समय से उक्त खेत पर कब्जा काश्त है। मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 जमीन का बन्टवारा निम्न प्रकार कर रखा है:-

(क) वादी संख्या एक श्रवणराम के बन्ट का खेत:-

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 01 रकबा 109 ब़ीघा 10 बिस्वा, मे से 12 बीघा 04 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

(ख) वादी संख्या दो बरजीदेवी के बन्ट का खेत:-

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 01 रकबा 109 ब़ीघा 10 बिस्वा, मे से 12 बीघा 05 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

(ग) वादी संख्या तीन ओमप्रकाश थोरी के बन्ट का खेतः—

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 01 रकबा 109 बीघा 10 बिस्वा, मे से 30 बीघा नजरी नक्शा के अनुसार

(घ)वादी संख्या चार भंवरलाल जानू के बन्ट का खेतः—

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 01 रकबा 109 बीघा 10 बिस्वा, मे से 29 बीघा 19 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

(ड)प्रतिवादी संख्या एक कृष्णदेव के बन्ट का खेतः—

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 01 रकबा 109 बीघा 10 बिस्वा, मे से 09 बीघा 19 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

(च.)प्रतिवादी संख्या दो ता तीन श्रवणराम दानाराम के बन्ट का खेतः—

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 01 रकबा 109 बीघा 10 बिस्वा, मे से 15 बीघा नजरी नक्शा के अनुसार

(छ)प्रतिवादी संख्या 04 ग्राम पंचायत कलवानी के बन्ट का खेतः—

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 01 रकबा 109 बीघा 10 बिस्वा, मे से 01 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

(ज) नजरी नक्शा मे मार्क A to B 02 बिस्वा जमीन वादीगण संख्या 01 ता 02 व प्रतिवादी संख्या एक कृष्णदेव के आने जाने हेतु सामलाती खातेदारी में रास्ते हेतु रखी गई है।

इस खसरा नम्बर के सह खातेदार भैराराम पुत्र उमाराम फौत हो चुका है उसने अपने जीवन काल में एक वसियतनामा(इच्छा पत्र) दिनाकं 15.02.2013 को वादी संख्या 03 ओमप्रकाश थोरी पुत्र सूरजाराम के पक्ष में निष्पादित करवादिया था।इसलिए खेत ख. न. 01 रकबा 109 बीघा 10 बिस्वा के सह खातेदार भैराराम पुत्र उमाराम के स्थान पर उनके बन्ट की 30 बीघा जमीन वादी संख्या 03 ओमप्रकाश अपने नाम से घोषणा कराने का कानूनी अधिकारी है।जिस हेतु यह दावा घोषणा खातेदारी का पेश है।

बन्टवारा प्रतिवादी स.01 ता 03 करने से इनकार होने व मामला अचल सम्पति का है। खेतो पर वादीगण का खेतो पर बैचाण के समय से कब्जा काश्त है।जिसको वादीगण ने अपने नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार जमीन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस से बन्टी हुई नही होने से वादीगण की जमीन की सींव मौके पर कायम करनी जरूरी हो गई है प्रतिवादी स. 01 ता 03 सामलाती खातेदारी की ओट मे वादीगण के कब्जे काश्त की जमीन बैचने पर उतारू है। इसलिए वादीगण अपनी जरिये बैचाण से खरीदी हुई व वसीयत की जमीन व कब्जा काश्त की जमीन का बन्टवारा कराने हेतु बन्टवारा का दावा पेश करते है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं 05 ता 06 के यहॉ वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्सा का खेत रहन होने से उन्हे प्रतिवादी संख्या 05 ता 06 बनाया गया हैं।उनके विरूद्ध किसी प्रकार की इश्तदुआ नही चाही गई है।न ही रहन की जमीन में कोई फेर बदल किया है।

प्रार्थना वादीगण है कि

कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे तथा मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 01 रकबा 109 बीघा 10 बिस्वा में से 30 बीघा स्व. भैराराम पुत्र उमाराम के कब्जा काश्त व बन्ट की जमीन नजरी नक्शे के अनुसार वादी संख्या 03 ओमप्रकाश थोरी के नाम खातेदारी घोषित की जावे व इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती फरमाई जावें।तथा खातेदारी में से स्व. भैराराम पुत्र उमाराम का नाम हटाया जावें।

कि मौजा गिरधारीपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 01 रकबा 109 ब़ीघा 10 बिस्वा, के सम्पुर्ण रकबे का बन्टवारा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के बीच बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से कर उपरोंक्त खेंत में से जमीन जिसको वादीगण ने नजरी नक्शे मे व वाद के पद संख्या 04 में अपने बन्ट व हिस्सें को व दिशा को दर्शाया गया है।उक्त हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे अलग से खातेदारी में दिलाने का आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 03.05.2017 को प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्रीभगवान ने वकालत नामा पेश किया जो सामिल मिसल किया व प्रतिवादी श्रवणराम उपस्थित हुआं।

वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01, ने दिनांक 03.06.2017 को कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत कलवानी में राजीनामा पेश किया। पक्षकारान् जरिये राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं।

वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01, द्वारा पेश किये गये राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे पक्षकरान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण की पहचान संरपंच ग्रम पंचायत कलवानी ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

वादीगण व प्रतिवादीगण को व मजमे आम मौतबीरान को सुना गया।मौतबीरान से पता किया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 01 रकबा 109 बीघा 10 बिस्वा में से 30 बीघा स्व. भैराराम पुत्र उमाराम के कब्जा काश्त व बन्ट की जमीन वादीगण के नजरी नक्शे के अनुसार वादी संख्या 03 ओमप्रकाश थोरी के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।तथा उपरोक्त खेत की खातेदारी में से स्व. भैराराम पुत्र उमाराम का नाम हटाया जाता है।तथा मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 01 रकबा 109 बीघा 10 बिस्वा का बन्टवारा राजीनामा व वाद में पेश नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। राजीनामा, व वाद में पेश नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।इसी अनुरूप डिकरी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **03.06.2017** को कोर्ट कैम्प कलवानी में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत– सहायक कलक्टर, डीडवाना
कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत कलवानी
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/84 दायरा दिनांक 10.04.2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. श्रवणराम पुत्र तेजाराम 2. बरजीदेवी पत्नि श्रवणराम 3. ओमप्रकाश थोरी पुत्र सुरजाराम 4. भंवरलालजानू पुत्र हनुमानाराम समस्त जाति जाट निवासी कलवानी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. कृष्णदेव पुत्र नेमाराम 2. श्रवणराम पुत्र लूणाराम 3. दानाराम पुत्र लूणाराम समस्त जाति जाट निवासी कलवानी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 4. ग्राम पचायत कलवानी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 5. मेनेजर पंजाब नेशनल बैक शाखा डीडवाना 6. मेनेजर नागौर सहकारी भूमि विकाश बैक शाखा डीडवाना 7. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

दावा घोषणा खातेदारी बन्टवाडा खेत

हस्ब धारा 53, 88, राज. काश्त. अधि.

दिनांक 03.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री,वादीगण उपस्थित व प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 उपस्थित । मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 01 रकबा 109 बीघा 10 बिस्वा में से 30 बीघा स्व. भैराराम पुत्र उमाराम के कब्जा काश्त व बन्ट की जमीन वादीगण के नजरी नक्शे के अनुसार वादी संख्या 03 ओमप्रकाश थोरी के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।तथा उपरोक्त खेत की खातेदारी में से स्व. भैराराम पुत्र उमाराम का नाम हटाया जाता है।तथा मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 01 रकबा 109 बीघा 10 बिस्वा का बन्टवारा राजीनामा व वाद में पेश नजरी नक्शा अनुसुची „क„ के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। राजीनामा, व वाद में पेश नजरी नक्शा अनुसुची „क„ निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

इसी अनुरुप पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.....................–....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 03.06..2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना

मुद्दई	ृपया	से	मुदायलह	ृपया	पैसे
म्प अर्जीदावा म्प वकालतनामा म्प वजह सबूत ताना वकील र्ग गवाहान त कमिश्नर त इजराय नामा र्रिक			म्प वकालतनामा म्प अर्जी ताना वकील र्ग गवाहान त कमिश्नर त इजराय हुक्मनामा र्रिक		
ान			ान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना

Scanned by CamScanner